संख्या:-33/2024/878ई-2/तेरह-2024-1807604

प्रेषक,

दुर्गा सिंह
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक: 18 अक्टूबर, 2024

विषयः-मे. आरती डिस्टिलरीज प्रा.लि., ग्राम चिरौरा, तहसील अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात की औद्योगिक क्षमता 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या:जी-39/दो-प्रा.डी.-217/मे. आरती डिस्टिलरीज, दिनांक 21-08-2024 तथा इस सम्बन्ध में प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग, उ.प्र. शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 30-09-2024 में लिए गए निर्णय सम्बन्धी कार्यवृत्त संख्या:-836ई-2/तेरह-2024-1807604, दिनांक 18-10-2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त पत्र दिनांक 21-08-2024 में आप द्वारा की गयी संस्तुति/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के राजस्व एवं औद्योगिक हित तथा निवेश एवं रोजगार संवर्धन के दृष्टिगत शासनादेश दिनांक 26-03-2021 के क्रम में मेसर्स आरती डिस्टिलरीज प्रा.लि., ग्राम चिरौरा, तहसील अकबरपुर, जनपद-कानपुर देहात की कुल अधिष्ठापित क्षमता 165 कि.ली. अर्थात् वर्ष में 350 कार्य दिवस के आधार पर 577.50 लाख लीटर वार्षिक में से निर्धारित की गयी पेय क्षमता 519.75 लाख लीटर (90 प्रतिशत) एवं शेष 57.75 लाख लीटर औद्योगिक अल्कोहल (10 प्रतिशत) को संशोधित करते हुये कुल स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 577.50 लाख लीटर वार्षिक का 75 प्रतिशत अर्थात 433.125 लाख लीटर पेय क्षमता एवं शेष 25 प्रतिशत अर्थात 144.375 लाख लीटर औद्योगिक अल्कोहल निर्धारित किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती हैः-

(1) इकाई द्वारा शासनादेश संख्या:18/2024/524ई-2/तेरह-2024-1807604, दिनांक 08-06-2024 द्वारा निर्धारित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) इकाई द्वारा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज (जी.एम.पी.) का अनुपालन एवं भारतीय मानक ब्यूरो (बी.आई.एस.) द्वारा निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए उत्पादन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) इकाई द्वारा स्थापित किये जाने वाले संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों पर राडार बेस्ड लेबल ट्रान्समीटर तथा संचय टैंकों एवं निकासी टैंकों के मध्य एवं निकासी टैंकों के पश्चात मास फ्लोमीटर लगाये जायेंगे।

(4) अग्रतर कार्यवाही से पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि इकाई पर कोई राजस्व बकाया न हो।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

संख्या:-33(1)/2024/878ई-2/तेरह-2024-1807604 एवं तद्दिनांक

प्रतिलिपि:निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. प्रमुख सचिव, पशुधन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. प्रमुख सचिव, खाद्य एवं रसद विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दुर्गा सिंह)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।